an>

title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

Shri Rao Inderjit Singh.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7068/16/17]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं--

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 305-27/2010-क्यूओएस जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 22 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 305-27/2010-क्यूओएस का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7069/16/17]

(3) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) **भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 जो 28 मार्च,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 297 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(दो) **भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 जो 31 मार्च,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(तीन) **भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 25 अप्रैल,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 406 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(चार) **भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 4 मई,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(पांच) **भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 18 मई,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(छह) **भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 24 मई,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 507 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

(सात) **भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 1 जून,2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 540 (अ) में प्रकाशित हुए थे।**

[Placed in Library, See No. LT 7070/16/17]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं --

(क)(एक) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस,नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस,नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7071/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 30 of the Legal Services Authorities Act, 1987:-

(i) The National Legal Services Authorities (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.75(E) in Gazette of India dated 5th February, 2015.

(ii) The National Legal Services Authorities (Second Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O.2164(E) in Gazette of India dated 10th August, 2015.

(iii) The National Legal Services Authorities (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.263(E) in Gazette of India dated 20th March, 2017.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7072/16/17]

(3) A copy of the Draft Notification No. F. No. 10(1)/2017-Leg-III (Hindi and English versions) making certain amendments in the Fourth Schedule of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 under sub-section (2) of Section 11A of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7073/16/17]